



हॉर्टनेट :- राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत के उत्तरी पूर्वी एवं हिमालय राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में कियान्वित किया जा रहा है। इसमें उद्यानिकी फसलों तथा फल, सब्जियाँ, जड़ और कंद फसलें, मशरूम, मसालें, फूल, औषधीय फसलें एवं फूल वाले पौधे उत्पादकता में सुधार, मानव संसाधन विकास, फसलोपरांत प्रबन्धन आदि से जुड़े कार्यक्रम कियान्वित किये जा रहे हैं।



उपयोगकर्ता :-

कृषक, राज्य के उद्यान विभाग के अधिकारी, मिशन, और इसके संबंधित अन्य कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारी, लेखक, सलाहकार, आदान/उर्वरक आपूर्ति एजेन्सीज और वितरक, ज्ञातावर्कर और अनुसंधानी इसका उपयोग कर सकते हैं।

हॉर्टनेट की मुख्य विशेषताएँ :-

- राष्ट्रीय बागवानी मिशन और संबंधित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए किसानों हेतु केन्द्रीकृत डाटाबेस।
- सूचना की उपलब्धता—पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ।
- सरकार के दिशा—निर्देश व नीतियों के अनुसार ऑनलाईन वर्क फलो आधारित प्रणाली।
- यूनिक आवेदन आई.डी. और किसान को आई.डी.कार्ड
- ऑनलाईन जॉच और प्रत्येक प्रार्थना—पत्र की अप्रूवल और रोल/लोकेशन की स्थिति की जानकारी।
- योजनावार अनुदान और आदान पैकेज की लाभार्थी को जानकारी।
- आदान पैकेज जारी करना और आदान आपूर्ति की मोनीटरिंग।
- प्रगति मोनीटरिंग—पंचायत समिति से राष्ट्रीय स्तर, प्रत्येक स्तर पर एकीकृत एम.आई.एस रिपोर्ट।
- फण्ड फलो मोनीटरिंग—राशि हस्तानान्तरण व व्यय रिपोर्ट।
- स्थानीय भाषा में जानकारी।
- ऑन लाईन और मोबाइल द्वारा फसल बीमारी की जानकारी।

हॉर्टनेट के मुख्य लाभ :-

- पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिये आई.सी.टी पहल।
- कृषकों द्वारा आवेदित ऑनलाईन फार्म को किसी भी स्थान से 24 घण्टे देखने की सुविधा।
- कई योजनाओं के आवंटन और लाभार्थी तक ट्रेकिंग की सुविधा।
- आवेदन की स्थिति की ऑनलाईन ट्रेकिंग।
- आवश्यक होने पर तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट।
- परमिट जनरेशन एवं आदान आपूर्ति उठाने की सूचना।
- सामग्री एवं वित्तीय प्रबन्धन सम्बन्धी जानकारी।
- ऑन लाईन और मोबाईल आधारित चेतावनी।
- रिपोर्ट, गणना आदि में मानव श्रम की 75 प्रतिशत तक की कमी।
- किसी भी अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में लागू करना संभव व क्षमतावृद्धि की सुविधा।
- हॉर्टनेट से ही कृषि बागवानी और सम्बन्धित विभागों के एप्लीकेशन की समबद्धता।
- आगामी संस्करण में भारत सरकार की आन लाईन भुगतान प्रणाली से लाभार्थी के खाते में सीधे भुगतान की सुविधा।

हॉर्टनेट :— व्यावहारिकता

कृषक/उद्यमी/लाभार्थी स्तर :

आवेदन प्रस्तुतीकरण :— कृषक/लाभार्थी जो कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना से लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे वेबसाईट <http://nhm.nic.in> पर ऑनलाईन “प्रगति निगरानी मेनू” के माध्यम से (परियोजना/गैर परियोजना आधारित) कार्यक्रमों हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सफलतापूर्वक आवेदन उपरांत कृषक को एक पहचान नम्बर प्राप्त हो जायेगा। यह पहचान नम्बर कृषक के पंजीकरण का नम्बर होगा। कृषक अपनी प्रार्थना—पत्र की स्थिति की जानकारी या अन्य कोई जानकारी अपने पंजीकृत नम्बर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। कृषक अपना प्रार्थना—पत्र, राज्य, जिस का वह निवासी है, को चयन करने के उपरांत ही आवेदन कर पायेगा। कृषक नियत तिथि, स्थान पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकेगा, जिसकी सूचना को संबंधित अधिकारी द्वारा एस.एम.एस./ई—मेल के माध्यम से अवगत कराई जायेगी।

सूचना प्रवाह

लक्ष्य निर्धारण और बजट आबंटन व राज्यों को जारी करना


जिलों पर कार्यरत विस्तार कार्यकर्ता अधिकारी वार लक्ष्य आंवटन, बजट प्राप्ति जिलों व इनपुट सप्लायर को जारी करना

लक्ष्यों की सूचना व प्रगति समीक्षा

वार्षिक कार्य योजना सत्यापन व अग्रेषण, लक्ष्य प्राप्ति व प्रगति समीक्षा तथा अनुमोदन

उपलब्धि की प्रविष्टि, वार्षिक कार्य योजना सत्यापन, PBs और NPBs हेतु आवेदन अनुमोदन

परियोजना निर्माण और आवेदन पत्र तैयार करना



जिला/पंचायत समिति स्तर—प्रथम स्तरीय आवेदन की छानबीनः—


पंचायत सीमिति स्तर/जिला स्तर पर कार्यरत बागवानी अधिकारी आवेदन दाखिल करने वाले किसानों के आवेदन को सत्यापित कर ई—मेल के माध्यम से किसानों को परामर्श विवरण द्वारा सूचित करेंगे। अन्य गतिविधियों की जिला स्तर पर मासिक प्रगति, वार्षिक योजना आदि की प्रगति रिपोर्ट से भी अवगत करायेंगे।

संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक :—

राष्ट्रीय स्तर संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) द्वारा सभी राज्यों की प्रगति, राष्ट्रीय बागवानी मिशनों को राशि आंवटन, एमपावर्ड कमेटी/एक्जूक्यूटीव कमेटी की बैठक का आयोजन एवं परियोजना आधारित कार्यक्रमों की स्वीकृति जारी किया जाना विभिन्न स्तरों पर प्रार्थना पत्रों की समीक्षा की जा सकती है।

द्वितीय स्तर—जॉच और स्वीकृति :—

मुख्यालय से अग्रेषित आवेदन पत्रों की सहायक निदेशक की शक्तियों के अधीन कृषकों की अनुदान की पात्रता के अनुसार स्वीकृति समीक्षा की जाती है। इससे पूर्व मूलभूत जानकारी, खातेदारी आदि का सत्यापन किया जाता है। परियोजना आधारित आवेदन स्वतः ही आगामी उच्च स्तर पर अग्रेषित होते हैं। इससे अतिरिक्त लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्ति, बजट स्वीकृति, व्यय राशि, आदि से सम्बन्धित जानकारी प्रविष्ट कराने की सुविधा है।



सम्पर्क सूत्रः—

केन्द्रीय—

बागवानी खण्ड

कृषि व सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

राज्य स्तरीय—

राज्य बागवानी मिशन,
मिशन निदेशक, निदेशक उद्यानिकी,
उद्यान निदेशालय

डिजायन व डेवलपमेंट— राष्ट्रीय सूचना—विज्ञान केन्द्र,
इलेक्ट्रोनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
भारत सरकार।

ई मेल —

moni@nic.in (DDG & HoG, NIC[Hq]),
sekhar@nic.in (STD, HOD & Chief Architect, NIC-APSC),
rvardhan@nic.in (Technical Director & National Project Director, Horticulture Computerizations, NIC[Hq]),
maali@nic.in (PSA & Project Leader/Chief Developer, Horticulture & Agriculture Computerizations, NIC-APSC)